

परिशिष्ट सारणी 7 : केंद्र से संसाधनों का न्यागमन और अंतरण

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद                                                  | 2005-06<br>(लेखा) | 2006-07<br>(बजट<br>अनुमान) | 2006-07<br>(संशोधित<br>अनुमान) | 2007-08<br>(बजट<br>अनुमान) | अंतर                   |             |                        |              |                        |             |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------|
|                                                     |                   |                            |                                |                            | कॉ.2 की तुलना में कॉ.4 |             | कॉ.3 की तुलना में कॉ.4 |              | कॉ.4 की तुलना में कॉ.5 |             |
|                                                     |                   |                            |                                |                            | राशि                   | प्रतिशत     | राशि                   | प्रतिशत      | राशि                   | प्रतिशत     |
| 1                                                   | 2                 | 3                          | 4                              | 5                          | 6                      | 7           | 8                      | 9            | 10                     | 11          |
| <b>I. केंद्रीय करों में राज्यों का अंश</b>          | <b>94,024</b>     | <b>1,09,420</b>            | <b>1,15,737</b>                | <b>1,36,184</b>            | <b>21,712</b>          | <b>23.1</b> | <b>6,317</b>           | <b>5.8</b>   | <b>20,447</b>          | <b>17.7</b> |
| <b>II. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)</b>               | <b>76,750</b>     | <b>99,290</b>              | <b>1,02,955</b>                | <b>1,17,320</b>            | <b>26,205</b>          | <b>34.1</b> | <b>3,664</b>           | <b>3.7</b>   | <b>14,366</b>          | <b>14.0</b> |
| 1. राज्य आयोजना योजनाएं                             | 28,748            | 42,299                     | 41,079                         | 52,499                     | 12,332                 | 42.9        | -1,220                 | -2.9         | 11,420                 | 27.8        |
| 2. केन्द्रीय आयोजना योजनाएं                         | 2,216             | 5,678                      | 5,049                          | 5,551                      | 2,833                  | 127.8       | -629                   | -11.1        | 502                    | 9.9         |
| 3. केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं                 | 13,314            | 18,189                     | 19,914                         | 24,655                     | 6,599                  | 49.6        | 1,725                  | 9.5          | 4,741                  | 23.8        |
| 4. एनईसी/विशेष आयोजना योजनाएं                       | 339               | 735                        | 825                            | 736                        | 486                    | 143.5       | 91                     | 12.3         | -90                    | -10.9       |
| 5. योजनेतर अनुदान (क से ग)                          | 32,133            | 32,390                     | 36,087                         | 33,880                     | 3,954                  | 12.3        | 3,697                  | 11.4         | -2,207                 | -6.1        |
| क) सांविधिक अनुदान                                  | 18,049            | 19,637                     | 17,113                         | 17,067                     | -936                   | -5.2        | -2,524                 | -12.9        | -45                    | -0.3        |
| ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए अनुदान                   | 3,272             | 2,532                      | 3,636                          | 2,722                      | 365                    | 11.1        | 1,104                  | 43.6         | -914                   | -25.1       |
| ग) योजनेतर गैर-सांविधिक अनुदान                      | 10,812            | 10,221                     | 15,338                         | 14,091                     | 4,526                  | 41.9        | 5,117                  | 50.1         | -1,247                 | -8.1        |
| <b>III. केन्द्र से सकल ऋण (I+II)</b>                | <b>8,097</b>      | <b>13,525</b>              | <b>10,197</b>                  | <b>14,918</b>              | <b>2,101</b>           | <b>25.9</b> | <b>-3,328</b>          | <b>-24.6</b> | <b>4,721</b>           | <b>46.3</b> |
| i) योजना ऋण                                         | 8,062             | 13,040                     | 9,768                          | 14,503                     | 1,705                  | 21.2        | -3,273                 | -25.1        | 4,735                  | 48.5        |
| ii) योजनेतर ऋण*                                     | 34                | 485                        | 430                            | 415                        | 395                    | 1,150       | -55                    | -11.4        | -14                    | -3.3        |
| <b>IV. सकल अंतरण (I+II+III)</b>                     | <b>1,78,871</b>   | <b>2,22,235</b>            | <b>2,28,889</b>                | <b>2,68,422</b>            | <b>50,017</b>          | <b>28.0</b> | <b>6,653</b>           | <b>3.0</b>   | <b>39,534</b>          | <b>17.3</b> |
| <b>V. ऋण चुकौती और ब्याज भुगतान (क+ख)</b>           | <b>21,290</b>     | <b>23,104</b>              | <b>21,370</b>                  | <b>21,348</b>              | <b>80</b>              | <b>0.4</b>  | <b>-1,734</b>          | <b>-7.5</b>  | <b>-22</b>             | <b>-0.1</b> |
| क) केन्द्र को ऋण की चुकौती                          | 8,141             | 8,698                      | 8,187                          | 8,433                      | 46                     | 0.6         | -511                   | -5.9         | 246                    | 3.0         |
| ख) केन्द्र के ऋण पर ब्याज का भुगतान                 | 13,150            | 14,406                     | 13,183                         | 12,914                     | 33                     | 0.3         | -1,223                 | -8.5         | -269                   | -2.0        |
| <b>VI. केन्द्र से संसाधनों का निवल अंतरण (IV-V)</b> | <b>1,57,581</b>   | <b>1,99,132</b>            | <b>2,07,519</b>                | <b>2,47,075</b>            | <b>49,938</b>          | <b>31.7</b> | <b>8,387</b>           | <b>4.2</b>   | <b>39,556</b>          | <b>19.1</b> |

\* : केन्द्र से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर, झारखंड के 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।